

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0  
के मेन्युअल का बिन्दु क्रमांक – 8

मण्डलों,परिषदों,कमेटियों अथवा अन्य निकायों का विवरण जो दो या अधिक व्यक्तियों से गठित हो तथा जो विभाग का हिस्सा हो अथवा पराम'K हेतु गठित हों, और इन मंडलों, परिषदों, कमेटियों अथवा अन्य निकायों की बैठकें जनसाधारण के लिए खुली हैं,तथा इनकी बैठकों के कार्यवाही विवरण जनसाधारण की पहुंच में हैं ।

मध्यप्रदे'k स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरे'kn लि0 कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि इसी अधिनियम के अधीन बनाये गये मेमोरेंडम आफ आर्टीकल्स एण्ड एसोसिए'kn के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करती है । कंपनी का समस्त कार्य संचालक मण्डल के अधीन रहता है तथा प्रतिदिन का कार्य प्रबंध संचालक के अधीन रहता है ।

संचालक मण्डल में अधिकतम संचालकों की संख्या 11 होती है । वर्तमान में 10 संचालक नामांकित है यथा—

अध्यक्ष	—	एक
उपाध्यक्ष	—	एक
v'kkldhय संचालक	—	दो
'kkldhय संचालक	—	पांच
प्रबंध संचालक	—	एक

प्रबंध संचालक तथा संचालक मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति राज्य 'kkसन द्वारा की जाती है । संचालक मण्डल की बैठकों में सभी संचालकों की नियुक्ति नाम से होती है पद नाम से नहीं तथा संचालक मण्डल की बैठकों में केवल नामित व्यक्ति ही भाग ले सकता है । यह बैठकें जनसाधारण के लिये खुली नहीं है ।